an>

Title: Need to include Bhojpuri language in the Eighth Schedule to the Constitution.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): भारत के विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली भोजपुरी भाषा को अभी तक संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि लोक सभा में पिछली सरकार ने भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जबकि भोजपुरी भाषा देश के विभिन्न हिस्सों में जैसे मुख्य रूप से पश्चिम बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी झारखण्ड के क्षेत्रों में बोली जाती है। भारत की जनगणना आँकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 3.3 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं। पूरे विश्व में भोजपुरी जानने वालों की संख्या लगभग 5 करोड़ है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु शीघ्र कदम उठाए जाएं।